

प्रेस विज्ञप्ति
जनपद बस्ती
दिनांक 31.03.2021

थाना मुण्डेरवा पुलिस द्वारा हत्या का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी रूधौली श्री अनिल कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मुण्डेरवा श्री सत्येन्द्र कुंवर मय पुलिस टीम द्वारा दिनांक 29.03.2021 को थाना मुण्डेरवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 67/21 धारा 302 भा0द0सं0 में वांछित अभियुक्त को प्राप्त मुखबीर की सूचना पर दिनांक 31.03.2021 को समय 8:30 बजे अभियुक्त के घर से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. प्रदीप यादव उर्फ गोलू पुत्र राम समुझ यादव ग्राम जगदीश पुर थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 67/21 धारा 302 भा0द0सं0 थाना मुण्डेरवा, जनपद बस्ती।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

श्रीमती सीमा विश्वकर्मा पत्नी स्व0 बाल कृष्ण विश्वकर्मा ग्राम जगदीश पुर थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती द्वारा लिखित सूचना दिया था कि दिनांक 28.03.2021 को सायं 07.00 बजे दो लडके मेरे घर आकर बताये कि मनोज चाय वाले की दुकान के बगल में मेरे पति गिरे पड़े है इस सूचना पर मैं अपने परिवार वालों के साथ जाकर देखा तो वह खून से लथपथ थे मैं अपने परिवार वालों के साथ अमृत हास्पिटल ले गया जहां डाक्टर ने बताया कि सदर अस्पताल ले जाइये सदर अस्पताल के डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया मेरे पति को किसी अज्ञात व्यक्ति ने पीट पीट कर हत्या कर दी है । उक्त सूचना के आधार पर दिनांक 29.03.2021 को थाना मुण्डेरवा पर मु0अ0सं0 67/21 धारा 302 IPC बनाम अज्ञात के सफल अनावरण हेतु मामूर था कि जरिये मुखबीर सूचना मिली कि जो व्यक्ति दिनांक 28.03.2021 को मनोज चाय की दुकान पर बाल कृष्ण विश्वकर्मा की पीट पीट कर हत्या किया था वह प्रदीप यादव उर्फ

गोलू पुत्र राम समुझ यादव ग्राम जगदीशपुर थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती ने जमीनी विवाद को लेकर बाल कृष्ण विश्वकर्मा पुत्र लक्ष्मण प्रसाद ग्राम जगदीशपुर थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती को मुक्का व लात से मार पीट कर हत्या कारित किया था इस घटना को काफी लोगो ने देखा था घटना के सफल अनावरण हेतु पतारसी सुरागरसी के दौरान विवेचना से अभियुक्त प्रदीप यादव उर्फ गोलू पुत्र राम समुझ यादव ग्राम जगदीश पुर थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती का नाम विवेचना से प्रकाश में आया अभियोग का सफल अनावरण कर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये प्रदीप यादव उर्फ गोलू पुत्र राम समुझ यादव ग्राम जगदीश पुर थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती को उसके घर ग्राम जगदीशपुर से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरण:-

अभियुक्त से पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि दिनांक 28.03.2021 को मैं मनोज के चाय के दुकान पर समय लगभग 07.00 बजे के आस- पास चाट खा रहा था इसी दौरान मृतक बाल कृष्ण विश्वकर्मा पुत्र लक्ष्मण विश्वकर्मा सा0 जगदीशपुर थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती अपनी मोटर साइकिल से मनोज की चाय की दुकान पर आया और लड़खड़ाते हुए दुकान के अन्दर आकर बैठकर मनोज मोदनवाल से खाने के लिए समोसा मांगा और दारू पीने लगा उसके बाद मेरे पास आकर बड़बड़ाने लगा मैं उठ कर अपने घर चला गया फिर मैं अपनी मां के साथ बाजार की तरफ आ रहा था तो मुझे देखकर बालकृष्ण फिर से बोलने लगा मेरे मना करने पर मेरी मां बोली कि त्यौहार के दिन तुम लोग क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो यह कहते हुए मेरी मां चली गयी तब तक बालकृष्ण मुझसे लड़ गया तब मैं एक घूंसा उसके चेहरे पर मारा व लड़खड़ा कर खड़जें पर गिर गया फिर मैं लगातार उसके चेहरे व सर पर मूक्का व लात से मारता रहा जब रोड पर एम्बुलेंस की आवाज सुनकर पुलिस होने के डर से उसे छोड़कर भाग गया । मेरी बालकृष्ण से पहले से जमीन बेचवाने की बात को लेकर आये दिन मुझे देखकर बोली बोलता था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक मुण्डेरवा श्री सत्येन्द्र कुंवर, जनपद बस्ती ।
2. का0 राजेश यादव थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती ।
3. का0 धनन्जय यादव थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती ।
4. का0 अभिजीत सिंह थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती ।
5. म0का0 सुमन यादव थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती ।